न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला (बीकानेर)

रमेश देव
(RAS)

अपील अन्तर्गत धारा -75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मुकदमा न. :-- / 2017

औमप्रकाश पुत्र भजनलाल जाति बिश्नोई सा. चक 1 एएलएम तहसील खाजूवाला

..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला .....

प्रत्यर्थी

उपस्थित :-- श्री पुरूषोत्तम सारस्वत अभिभाषक अपीलार्थी

--: निर्णय :--

दिनांक :- 28.02.2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा -75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश तहसीलदार खाजूवाला के नामांतरकरण सं. 243 दिनांक 28.03.2017, जिससे अपीलार्थी की लघु पट्टी आवंटित भूमि की प्रविष्टि निरस्त करने का आदेश दिया गया ; जिसे निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार करने बाबत प्रस्तुत की गयी है ।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा अपीलार्थी के नाम चक 1 एएलएम के मुरब्बा न. **164/18** के किला न. 1 में 0.12 , 2 में 0.13, 3 में 0.14, 4 में 0.15, 5 में 0.18 ; तादादी = 03.12 बीघा एवं मुरब्बा न. **164/26** के किला न. 1 ता 5 में 5.00, 6 में 0.09, 7 में 0.06, 8 में 0.06, 9 में 0.04, 10 में 0.02 ; तादादी = 6.09 बीघा **[कुल = 09.19 बीघा]** अनकमाण्ड भूमि दिनांक 15.09.2016 को लघु पट्टी के रूप में आवंटित की गयी थी । जिसकी पालना में जैर अपील नामांतरकरण, हल्का पटवारी गुल्लूवाली द्वारा भरा गया था । हल्का पटवारी से मिलने पर अपीलार्थी को नामांतरकरण खारिज होने का पता चला जिससे व्यथित होकर उक्त अपील पेश की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला बीकानेर)

हमनें अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया । जैर अपील नामांतरकरण सं. 243 का अवलोकन करने पर पता चलता है कि आवंटन सम्बन्धी प्रविष्टियाँ यथा – आवंटी का नाम, जाति, पता, मुरब्बा-किला नम्बर , योग इत्यादि ; मुताबिक आवंटन आदेश दिनांक 09.09.2016 के अनुसार सम्यक रूपेण भरी हुई है । किंतु हल्का पटवारी द्वारा नामांतरकरण परत के स्तम्भ सं. 16 में तारीख 30.02.2017 भरी हुई है जो गलत अंकित की गयी है । भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा *'आदेश से रिकॉर्ड का मिलान होता है, अंकन सही है'* को काटकर व रद्दोबदल कर निम्न टिप्पणी अंकित की गयी है –

'आदेश से रिकॉर्ड का मिलान ~~नहीं~~ होता है, अंकन सही है
नियमानुसार नहीं है आवंटन **S.P.** *श्रेणी का नहीं है । "sd"*
11.2.17

4. अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक द्वारा इस सम्बन्ध में जोरदार बहस की गयी कि अधीनस्थ न्यायालय की एजेंसी द्वारा इस प्रकार मनमानी व नाजायज टिप्पणियाँ कर अपीलार्थी को अनावश्यक परेशान किया गया है तथा भू अभिलेख निरीक्षक की इस प्रकार की टिप्पणी से प्रश्नगत नामांतरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है ।

5. हमनें प्रश्नगत भूमि की मूल आवंटन पत्रावली तलब की । पत्रावली के संलग्न आवंटन प्रार्थना पत्र में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मौका नक्शा बनाकर नहर व अनिवार्य वन पट्टी छोड़ते हुए शेष आवंटन योग्य रकबा राज को उक्त लघु पट्टी आवंटन हेतु प्रस्तावित किया जिसमें इन्हीं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जाँच की गयी किंतु कोई विपरीत टिप्पणी अंकित नहीं की ।

6. आवंटन पत्रावली में रकबा राज की जमाबन्दियाँ संलग्न नहीं है एवं ना ही गैर मुमकिन नहर की जमाबन्दियां संलग्न है । नहर का कटान किन किन किलों में कितना है, यह भी पता नहीं चल रहा है । नहर के उस पार के किले जो इन्ही मुरब्बों के है किंतु चक 4 बीजीएम-बी में पड़ते हैं, की जमाबन्दी भी संलग्न नहीं है एवं ना ही इनका कोई विवरण, आवंटन प्रस्ताव में अंकित है । केवल मनमाने तरीके से अनिवार्य वन पट्टी के रकबे को कम कर आवंटन प्रस्ताव बना दिया गया है । आवंटन प्रस्ताव में मुरब्बा नम्बर 164/18 के अराजीराज सालम किला नम्बर 4 में 0.05 बीघा तथा सालम किला नम्बर 5 में 0.02 बीघा रकबा कम किया गया है जिसकी वजह से आवंटन प्रस्ताव मध्यम पट्टी भूखण्ड से लघु पट्टी भूखण्ड में परिवर्तित हो चुका है; ऐसा प्रतीत होता है । नक्शे में किला न. 6 व 7 में नहर दिखाई हुई हैतो

उपखण्ड अधिकारी
ग्रानूवाला (जिला बीकानेर)

फिर किला नम्बर 4 व 5 में रकबा कम करने का औचित्य क्या है ? बिना मौका जाँच किये अथवा नाप-जोप किये, रकबे का 9.19 बीघा का लघु पट्टी भूखण्ड आवंटन प्रस्ताव पेश किया गया है । दो बिस्वा भूमि अधिक होने पर उक्त भूमि लघु से मध्यम श्रेणी भूखण्ड में परिवर्तित हो जाती है जिसके आवंटन नियम व विक्रय मूल्य भिन्न है ।

राजस्थान उपनिवेशन (इ.गां.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 व 14-क में क्रमशः लघु पट्टी व मध्यम पट्टी आवंटन के नियम दिये गये हैं । नियम 2[xi_j -क] में मध्यम खण्ड के टुकड़े का माप परिभाषित किया हुआ है जबकि नियम 2[xvi] में लघु पट्टी के माप के बारे में परिभाषा दी गयी है । नियम 22(3) में नियम विरूद्ध आवंटन होने पर आवंटन निरस्त करने के प्रावधान है । राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 121 की पालना भी प्रश्नगत नामांतरकरण प्रस्तुत करते समय भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा नहीं की गयी है ।

--: आदेश :--

अतः अपील अपीलाण्ट आँशिक स्वीकार की जाती है तथा भूमिधारी तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जातें हैं कि प्रश्नगत आवंटन की श्रेणी की मौका एवं रिकॉर्ड की गहन जाँच करते हुए यदि आवंटित रकबा मध्यम भू खण्ड श्रेणी में आता हो राजस्थान उपनिवेशन (इ.गां.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम 1975 के नियम 22(3) के तहत कार्यवाही करे एवं तत्कालीन हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध लापरवाही व राजकोष को हानि पँहुचाने बाबत कृत्य कारित करने बाबत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करे । जाँच 15 दिवस में पूर्ण कर ली जावे । यदि रकबा लघु पट्टी श्रेणी का पाया जाता है तो नामांतरकरण सं. 243 दिनांक 28.03.2017 की सर्किल रेवेन्यु ऑफिसर की टिप्पणी निरस्त मानी जावे तथा उक्त आवंटन आदेश बाबत नये सिरे से नियमानुसार रिकॉर्ड में अंकन की कार्यवाही की जावे ।

निर्णय खुले में सुनाया गया ।

28/2/18

(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला बीकानेर)